



दिनांक 25.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति 545 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना लोहियानगर

- पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 25.10.2026 को थाना लोहियानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेडिकल-कमालपुर रोड की ओर से जलालपुर जाने वाले रास्ते के पास स्थित खण्डहर के पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुर्सलीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोहियानगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोहियानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुर्सलीन निवासी इस्लामनगर कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद गाजीपुर/थाना भांवरकोल

- पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रुपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 25.10.2026 को थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से पुलिस कार्यवाही में 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—सर्वेश उर्फ सिद्धू 2—आशुतोष उर्फ आशु उर्फ बिट्टू घायल सहित अभियुक्त 3—उपेन्द्र नाथ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सर्वेश उर्फ सिद्धू के विरुद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 8 अभियोग एवं अभियुक्त आशुतोष उर्फ आशु उर्फ बिट्टू के विरुद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भांवरकोल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भांवरकोल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सर्वेश उर्फ सिद्धू निवासी ग्राम सुखडेहरा थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर।

2—आशुतोष उर्फ आशु उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम सुखडेहरा थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर।

3—उपेन्द्र नाथ निवासी गोड़ी खास थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बहराइच/थाना रामगांव

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.10.2026 को थाना रामगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नानपारा कैसरगंज बाइपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरमान उर्फ नाचे को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानों में चोरी धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामगांव पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामगांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरमान उर्फ नाचे निवासी काजीपुरा उत्तरी थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कटरा

- अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- 430 ग्राम अवैध अफीम बरामद

दिनांक 24.10.2026 की रात्रि थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बतलैया मोड़, पुलिया के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त सोहराव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 430 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोहराव निवासी ग्राम बतलैया थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—430 ग्राम अवैध अफीम।

➤ जनपद सोनभद्र (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 83 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद सोनभद्र पुलिस ने अभियुक्त आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम परही थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति कीमत करीब 83 लाख रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।
